Legal Express: An International Journal of Law **ISSN 2394-465X**
Vol.VI, Issue-IV December 2020

नशे का शिकार होती देश की युवा पीढ़ी व बच्चे: सामाजिक चिंतन

डॉ. दुर्गावती*

'हम सभी मिलकर ड्रग्स से जुड़े अपराधों के प्रति "जीरो टॉलरेन्स" का माहौल बनाएं ताकि हमारा देश इसके खतरे से पूरी तरह मुक्त हो' **-नरेन्द्र मोदी**

आज हमारे देश की जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा नशे की गिरफ्त में आ चुका है। जिसमें सबसे बड़ी संख्या किशोरों की है। ज्यादातर नशा करने वाले व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र के देखे गये है। नशा एक ऐसी चीज है जिसका उपयोग इंसान कुछ दिनों तक कर ले, तो वह इसका आदी हो जाता है फिर इसकी गिरफ्त से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नशा करने वाला व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रुप से कमजोर हो जाता है तथा यह नशा उसे जल्दी ही अंत की ओर ले जाता है।

नशा करने वाले व्यक्तियों में सोचने समझने की क्षमता स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में आधी रह जाती है इसलिये नशा करने वाले व्यक्ति जल्दी ही अपराधों की ओर लिप्त होते चले जाते हैं। नशे का शौक उनकी आर्थिक स्थिति को भी कमजोर कर देता है और आदतन नशेड़ी होने के बाद आदमी नशे के लिये किसी भी तरह का अपराध करने से पीछे नहीं हटता।

आजकल स्कूल व कॉलेज के विद्यार्थी ज्यादातर नशे से प्रभावित हो रहे हैं। ज्यादातर युवा नशे को फैशन के तौर पर इस्तेमाल करके शुरुआत करते हैं बाद में वही फैशन लत का रुप ले लेता है। ज्यादातर किशोर पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित होने की वजह से भी नशे का शिकार हो रही है।

नशा के प्रकार- नशा कई प्रकार का होता है जैसे-

कोकीन, मैथाएम्फेटामिन, एम्फेटामिन, रेटालिन, साइर्लअ, इन्हेलेंट (इन्हेलेंट को सूंघा या खींचा जाता है और ये प्रयोगकर्ता को तुरंत परिणाम देता है। जब इन्हेलेंट का उपयोग किया जाता है तो शरीर में आक्सीजन की कमी हो जाती है जिससे हृदयगति तेज हो जाती है व व्यक्ति को लीवर, फेफड़े, व किडनी संबंधी बीमारियां हो जाती है।)

ग्लू,पेंट, थिनर, गैसोलीन, लार्फिंग गैस, एयरोसोल स्प्रे, केनाबीनाएड्स (इन नशीले पदार्थों में उत्साह, अनिश्चितता और याददाश्त संबंधी समस्याएं हो जाती है, उत्कंठा, बड़ी हुई धड़कन, व लड़खड़ाना और प्रतिक्रिया का धीमा समय होना आदि।)

हशीश, मारीजुआना, अवसादक (अवसादक शरीर के केन्द्रीय नाड़ी तंत्र के चालन को धीमा करते हैं। इन ड्रग्स को डाउनर भी कहते हैं क्योंकि ये व्यक्ति को धीमे- धीमे मौत के मुंह में ले जाते हैं। शुरुआत में इससे व्यक्ति खुद को तनाव रहित महसूस करता है। लेकिन बाद में इसका आदी हो जाता है।)

---

* अतिथि विद्वान, विधि, विधि अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

इसके अलावा अन्य नशीले पदार्थ जैसेः- हेरोइन, चरस, अफीम, शराब, बीढ़ी-सिगरेट, गांजा, तंबाकू और आजकल मेडीसिनल दवाइयों व व्हाइटनर, सुलोचन ट्यूब जैसी चीजों का उपयोग भी इंसान नशे के रुप में करने लगा है जो कि हानिकारक है। जिन्हें इंसान कई तरीकों से जैसे मौखिक खपत, धूम्रपान, और इंजेक्शन के द्वारा उपयोग में लाते है।

नशा फैलने के कारण -

नशा फैलने के कई सामान्य कारण है जनता में जागरुकता की कमी व प्रशासन का नशाखोरों पर उचित कार्यवाही न करना। नशीले पदार्थ बेचने वाले खुलेआम बैखोफ घूमते नजर आते हैं। खासकर स्कूल व कॉलेज के विद्यार्थियों को भी अपने गिरोह् में शामिल कर अपने धंधे का विस्तार करते हैं।

1. **जागरुकता की कमी-** हमारे देश में ज्यादातर जनसंख्या अशिक्षित होने के कारण भी नशे का शिकार होती चली जाती हैं क्योंकि उन्हें इनसे होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी नहीं हो पाती।
2. **संगति का असर-** नशाखोरी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है गलत संगति का असर। जिस तरह कहा जाता है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है ठीक उसी तरह एक नशा करने वाले व्यक्ति की संगत में आकर और लोग भी उसका शिकार होने से बच नहीं पाते और इसी तरह नशा करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है
3. **एकल परिवार-** आज के दौर में परिवारों का विखण्डन बड़ी तेजी से हो रहा है। ऐसे में कामकाज करने वाले मां-बाप को दिनभर घर से बाहर रहना पड़ता है। इस स्थिति में बच्चे गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं जबकि पहले संगठित परिवार होने के कारण बच्चों पर घर के सदस्यों की निगरानी रहती थी।
4. **नशीले पदार्थों की खुलेआम बिक्री-** आज नशीले पदार्थों की बिक्री खुलेआम हो रही है लेकिन इसके लिये प्रशासन की ओर से उचित कदम न उठाये जाने के कारण नशा कारोबारियों हौसले और बुलंद होते जा रहे है।
5. **सिनेमाओं का दुष्प्रभाव-** आजकल सिनेमाओं का असर भी युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है जिसके कारण युवा वर्ग सिनेमा में दिखाये जाने वाले नशे के पदार्थों को अपनाते हैं।
6. **तनाव व बेरोजगारी-** तनाव व बेरोजगारी भी नशे का बहुत बड़ा कारण है। आज का युवा वर्ग शिक्षित होने के बाद भी बेरोजगारी की मार झेल रहा है। जिस कारण तनाव रहता है इसे दूर करने के लिये भी कुछ लोग नशे को अपना लेते है।
7. **पाश्चात्य शैली का प्रभाव-** कुछ सालों से देश में पाश्चात्य सभ्यता का विकास बड़ी ही तेजी से हुआ है जिसने हमारे देश की युवा पीढ़ी को अपनी ओर पूरी तरह से आकर्षित किया है जिसका परिणाम यह है कि पहनावे के साथ-साथ खान-पान के तौर तरीके भी अपनाये गये इसी तरह धीरे-धीरे नशा भी अपनाया गया।

नशा करने के दुष्परिणाम-

1. **स्वास्थ्य पर प्रभाव-** नशा करने वाले का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उनके फेफड़े, गुर्दे खराब हो जाते हैं जिससे लोग काल के गाल में समा जाते हैं।

2. **टूटते परिवार-** नशा करने वाले व्यक्तियों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण पारिवारिक झगड़े होते है जिससे परिवारों में विघटन होने लगता है।
3. **आर्थिक तंगी-** नशे जो लोग नशा करते हैं उनका परिवार हमेशा आर्थिक तंगी से जूझता रहता है। क्योंकि नशे के आगे व्यक्ति परिवार को भुला कर अपने नशे को शौक को पूरा करने के लिए घरेलू चीजों को भी बेच देता है।
4. **नशा और एचआईवी-** नशे के लिये जो लोग इंजेक्शन का प्रयोग करते है वो नशीली दवाओं के रुप में सबसे शक्तिशाली है। इंजेक्शन लगा के नशा करने वाले एक समूह में सुई व सीरिंज का उपयोग करते हैं और बार बार एक ही सीरिंज का उपयोग होने की वजह से एक दूसरे व्यक्ति के सम्पर्क में आने से अगर एक भी एचआईवी पाजिटिव व्यक्ति हो तो पूरे समूह को एचआईवी हो जाता है।

नशा रोकने के उपाय-

1. जनता को नशे के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा जागरुक करना चाहिये जैसे - नुक्कड़ नाटक द्वारा या जगह-जगह केम्प लगाकर इसकी जानकारी तथा होने वाले नुकसान से लोगों को परिचित करवाना चाहिये।
2. शराब, मादक पदार्थों व द्रव्यों के सेवन की बढ़ती हुई प्रवृत्ति की रोकथाम के लिये विभाग द्वारा प्रचार प्रसार कार्यक्रमों, के माध्यम से नशा बंदी के पक्ष में वातावरण निर्माण करने के कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। इसमें मुख्यतः कलापथक दल, सांस्कृतिक संगठनों, कलामण्डलियों, स्वैच्छिक संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों के माध्यम से जन जागृति के कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।
3. आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के माध्यम से नशा मुक्ति के लिये प्रसारण करना चाहिये और निबंध, भाषण, चित्रकला, एवं प्रद्र्नमंच के कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिये।
4. नशा करने वाले व्यक्ति पर निगरानी रखना चाहिये
5. ज्यादा से ज्यादा नशा मुक्ति केन्द्रों की स्थापना व पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना करना चाहिये ताकि नशे के मरीजों को सही समय पर इलाज कर इस समस्या से मुक्त कराया जा सके।
6. नशा रोकने के लिये जो एक्ट व विधियां बनायी गयी है उनका उचित तरीके से पालन होना चाहिये।

नशा के दुरुपयोग पर रोक लगाने संबंधी नियम व शास्तियां-

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थों संबंधी राष्ट्रीय नीति भारतीय संविधान के अनु. 47 में समाविष्ट नीति निर्देशक सिद्धांतों पर आधारित है। जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक मादक औषधियों के चिकित्सीय उद्देश्यों को छोड़कर अन्य उपयोग को प्रतिबंधित करने के प्रयास करने का राज्य को निदेश देता है। इस संवैधानिक प्रावधान से निकली सरकारी नीति इसी विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों द्वारा भी मार्गदर्शित है।

धारा 2(प)- व्यसनी- व्यक्ति से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ का आदी हो चुका हो।

धारा 2(गगअपपपक)- स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के संबंध में “उपयोग” से व्यक्तिगत उपयोग को छोड़कर किसी भी प्रकार का उपयोग अभिप्रेत है।

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिये इस अधिनियम की स्थापना की गई जो कि संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन से अभिप्रेत है।

(क) स्वापक औषधि एकल कन्वेंशन, 1961, जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा मार्च, 1961 में न्यूयार्क में अंगीकार किया गया था

(ख) उपखंड (क) में वर्णित कन्वेंशन का संशोधन करने वाला प्रोटोकाल, जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा मार्च, 1972 में जेनेवा में अंगीकार किया गया था

(ग) मनःप्रभावी पदार्थ कन्वेन्शन, 1971, जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा फरवरी, 1971 में वियना में अंगीकार किया गया था।

(घ) स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थ से संबंधित किसी अंतराष्ट्रीय कन्वेन्शन का संशोधन करने वाला कोई अन्य अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन या प्रोटोकाल या अन्य लिखित जिसका इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् भारत द्वारा अनुसमर्थन या अंगीकार किया जाए।

धारा 27- किसी स्वापक औषधि अथवा मनःप्रभावी पदार्थ का स्वयं उपभोग के लिये थोड़ी मात्रा में अवैध रुप से अधिपत्य करना अथवा ऐसी औषधि अथवा पदार्थ का उपभोग करने के लिए दण्ड जब वह कोकेन या मार्फिन से भिन्न हैं। तो 6 माह का कारावास अथवा जुर्माना सहित कारावास अथवा दोनों से दण्डित किया जायेगा।

यदि कोकेन या मार्फिन डाइएसीटस मार्फिन या अन्य विभिन्न पदार्थ हैं तो 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनो।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860

अध्याय 21, धारा 510 - मत्तता संहिता की धारा 510 के अनुसार केवल मत्तता का इस संहिता के अधीन दंडनीय नहीं बनाया गया है। किन्तु वह व्यक्ति, जो मत्तता के हालत में किसी लोक स्थान में, या किसी ऐसे में, जिसमें उसका प्रवेश करना अतिचार हो, जाएगा और वहां इस प्रकार का आचरण करेगा, जिससे किसी व्यक्ति को क्षोभ कारित हो, दंडनीय होगा। (चैबीस घंटे, या 10 रु. या दोनों से)।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2016

धारा 77 - बालक को मादक लिकर या स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ देने के लिए शास्ति का प्रावधान करती है। कोई व्यक्ति जो किसी बालक को लोक स्थान में कोई मादक लिकर या कोई स्वापक औषधि या तंबाकू उत्पाद या मनःप्रभावी पदार्थ देगा या दिलवाएगा वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपये तक हो सकेगा, दंडनीय होगा।

धारा 78- जो कोई किसी बालक का किसी मादक लिकर, स्वापक औषधि, मनःप्रभावी पदार्थ के विक्रय, फुटकर क्रय-विक्रय, साथ रखने, आपूर्ति करने या तस्करी करने के लिए उपयोग करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष, तक की हो सकेगी और एक लाख रुपये के जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।

मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम ,1915

भारत में, राज्यों पर निर्भर करते हुए शराब खरीदने पीने की कानूनी उम्र 18-25 वर्ष है। व सार्वजनिक रुप से शराब पीना सख्त मना है। आमतौर पर भारत के बार और पब में चेतावनी सूचना प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें लिखा होता है कि केवल कानूनी उम्र के व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति है, लेकिन यह कानून बमुश्किल ही माना जाता है अधिकतर किशोरों द्वारा इन स्थानों में मनाई जाने वाली जन्मदिन के जश्न इसके सबूत हैं।

धारा 36ख - किसी सामान्य मदिरा पान, गृह में मत्त पाये जाने के लिये या मदिरा पान करने के प्रयोजन के लिये पाये जाने के लिये शास्ति जुर्माने से जो 1000 रु. तक का हो सकेगा।

धारा 34 (1) म.प्र. आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में मदिरा बेचन पर अधिनियम की धारा 34 (1) के अधीन अभियुक्त को दंडित किया जायेगा। जैसे- 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को मदिरा बेचने पर 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना, जो 500 रु से कम नहीं होगा जो 5000 तक हो सकेगा दण्डनीय होगा।

नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस- जून 26

संयुक्त राष्ट्र अभिसमय

सार्क अभिसमय

उपसंहार- नशा एक ऐसी बुराई है जिसकी गिरफ्त से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है यह इंसान को धीरे-धीरे मौत के मुंह में ले जाता है। वास्तविक तौर पर देखा जाये तो युवा पीढ़ी किसी भी देश का आधार स्तंभ होती है यदि आधार स्तंभ ही सही नहीं होगा तो देश का विकास कैसे होगा। छोटे बच्चे ज्यादातर अपने बढ़ों की आदतों का अनुसरण करते हैं इस स्थिति में बड़े सदस्यों को अपना आचरण तथा चरित्र सही रखना चाहिये ताकि बच्चे गलत दिशा में न जाये।

भारत देश में नशा रोकने संबंधी कानून तो बने है पर उनका सख्ती के साथ उपयोग न होने के कारण देश की जनता नशे की गिरफ्त में आती जा रही है। यह जरुरी है कि प्रशासन के साथ-साथ जनता को भी जागरुक रहना

ही चाहिये तथा उनको अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिये क्योंकि एक परिवार, एक समाज, एक देश तभी खुशहाल बनता है तथा तरक्की करता है जब उसका प्रत्येक नागरिक अच्छे आचरण वाला हो ताकि उसकी आने वाली पीढ़ी उसका अनुसरण कर सके।

References

1. dor.gov.in/hi/narcoticdrugspsychotropic/अपराध-के-लिए-सजा
2. https://hi.wikipedia.org/wiki/मादक_पेय
3. www.prabhasakshi.com/news/currentaffairs/story/17446.html Feb 7, 2017
4. नशा-युवा पीढ़ी और हम मेरी अभिव्यक्ति
   shalinikaushik.jagranjunction.com › ... › Celebrity Writer Nov 9, 2014
5. चिंता : नशे की गिरफ्त में युवा - Jansatta
   www.jansatta.com › रविवारी Dec 20, 2015 –
6. नशे में घुलता युवा भारत- पुष्पेन्द्र दीक्षित www.pravakta.com/young-india-drowing-into-alchohal posted on june 28,2016
7. http://narcoticsindia.nic.in/drugs-abuse.php?id=3
8. *http://www.mha.nic.in/Role_Narcotics*May 21, 2015